न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/33/2017

वउनवान

1. बबलू पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी घोसराना
   तहसील कठूमर

------ वादी

बनाम

1. प्रभू दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति मीना
2. भगवानसहाय पुत्र छोटा जाति मीना
3. समुन्दरसिंह पुत्र छोटा जाति मीना
   निवासीयान ग्राम घोसराना तहसील कठूमर
4. प्रबन्धक भूमि विकावस बैंक लक्ष्मणगढ
5. प्रबन्धक एस बी आई खेरली
6. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल भार्मा एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय दिनांक 07.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 295 रकवा 0.78 हे. 445 रकवा 0.76 हे. वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर में स्थित है। वादी एंव प्रतिवादीगण मृतक गौरा के वारिसान है। लक्ष्मण जो वादी का सगा ताउ था जिसने अपने जीवनकाल में ही वादी के सगे भाई प्रतिवादी सं01 प्रभू को गोद ले लिया था। लक्ष्मण के मरने के वाद उसकी चल अचल सम्पति का तर्का प्रतिवादी सं01 को प्राप्त हुआ है तथा विवादित आराजी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विधिवत गोद के आधार पर इन्तकाल भी प्रतिवादी सं01 के नाम दर्ज हो चुका है। लेकिन सहवन से विवादित आराजी में प्रतिवादी सं01 का नाम प्रभू पुत्र मनफूल दर्ज

हो गया था। वादी अपने पिता की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी मृतक मनफूल पुत्र गौरा के हिस्से की आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का मुश्तहक है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति है जो जवरन विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा वादी को वेदखल करना चाहते है हाल राजस्व रेकार्ड पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करने की धमकी देते है। अतः वादी ने मनफूल के हिस्से की विवादित आराजी अपने नाम घोशित कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री संजय अवस्थी एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी है तथा वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 2 ला05 का नाम तर्क किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 किता 2 प्रदर्श 1 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 बबलू वादी स्वंय व गवाह प्रभू डी डब्ल्यू 2 ने वयान लेखवद्व कराये है। विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया। विद्वान अधिवकता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में खसरा नम्बर 295 मनफूल पुत्र गौरा हिस्सा 1/3, भगवानदास, समुन्द्रसिंह पि0 छोटा 1/3 प्रभू पुत्र मनफूल 1/3 कौम मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है खसरा नम्बर 445 में प्रभू पुत्र मनफूल हिस्सा 1/3 मनफूल पुत्र गौरा 1/3 भगवानसिंह, समुन्द्रसिंह पि0 छोटा 1/3 कौम मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है। गवाह वादी बबलू ने अपने वयानों में कथन किया कि प्रतिवादी सं01 प्रभू मेरा सगा भाई है जो लक्ष्मण के गोद चला गया है। मेरे दो बहने विमला व कमला है

तथा एक भाई प्रभू है। मनफूल मेरा पिता हैं जिनका स्वर्गवास हो गया। मृतक मनफूल के हिस्से की आराजी मेरे नाम दर्ज कर दी जावे। प्रतिवादी सं02 ने अपने वयानों में कथन किया कि मैं और बबलू दो भाई है। मैं लक्ष्मण के गोद चला गया हूँ। मेरा अव मेरे जन्मदाता पिता की जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। विवादित भूमि में मृतक मनफूल के 1/3 हिस्सा बबलू के नाम खातेदारी काश्तकारी में दर्ज कर दी जावे तो मुझे एतराज नहीं है। प्रतिवादी प्रभू स्वंय ने अपने आपको लक्ष्मण पुत्र गौरा का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है तथा विवादित आराजी वावत मनफूल पुत्र गौरा का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड से कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने में सहमति दी है। प्रतिवादी सं0 1 के वयानों से विवादित आराजी पर मनफूल के हिस्से पर वादी का कब्जा होना व मनफूल के 1/3 हिस्सा की आराजी वावत मनफूल का नाम कलमजन कर वादी को खातेदारी दिया जाना प्रतिवादी सं0 1 का स्वीकारोक्ति कथन है। अतः दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 295 रकवा 0.78 हे. 445 रकवा 0.76 हे. वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर के 1/3 हिस्सा वावत राजस्व रेकार्ड में मृतक मनफूल पुत्र गौरा के नाम को कलमजन कर वादी बबलू को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 07.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/33/2017

वउनवान

1. बबलू पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर

------ डिक्रीदार

बनाम

1. प्रभू दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति मीना
2. भगवानसहाय पुत्र छोटा जाति मीना
3. समुन्दरसिंह पुत्र छोटा जाति मीना
   निवासीयान ग्राम घोसराना तहसील कठूमर
4. प्रबन्धक भूमि विकावस बैंक लक्ष्मणगढ
5. प्रबन्धक एस बी आई खेरली
6. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 295 रकवा 0.78 हे. 445 रकवा 0.76 हे. वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर के 1/3 हिस्सा वावत राजस्व रेकार्ड में मृतक मनफूल पुत्र गौरा के नाम को कलमजन कर वादी बबलू को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 07.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)